

यह फार्म मुफ्त मिलता है

कार्यालय प्रयोग हेतु

दाया क्रमांक दिनांक

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे मृतक के परिवार को
सहायता/अनुदान प्रदान करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र।

सेवा में,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,

.....।

विषय : राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे मृतक के परिवार को सहायता/अनुदान प्रदान करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

सविनय प्रार्थना है कि श्री/श्रीमती की प्राकृतिक/दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तथा मैं / हम उसके आश्रित हैं और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत अनुदान/सहायता प्रदान करवाने बारे आवेदन करती हूँ/करता हूँ/करते हैं। मृतक की मृत्यु के बारे में पूर्ण विवरण व अन्य जानकारी निम्न प्रकार से है :—

1. मृतक का विवरण :—

(क) नाम पिता/पति का नाम

(ख) आयु (ग) पुरुष /स्त्री

(घ) जाति (ङ) व्यवसाय

(च) पूरा पता

(छ) क्या मृतक परिवार का मुख्य जीवकोपार्जक था ? हां/नहीं

2. मृत्यु की तिथि
(सक्षम प्राधिकारी से जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र साथ संलग्न करें)

3. मृत्यु का स्थान

4. पुलिस स्टेशन/खण्ड विकास पंचायत का नाम व पूरा पता
जहां मृत्यु के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई

5. मृत्यु की तिथि को परिवार का बी०पी०एल० सूची में क्रमांक संख्या

6. मृतक के परिवार के आश्रितों का विवरण :--

नाम	आयु	मृतक से सम्बन्ध
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

मैं/हम घोषणा करती/करते हैं कि मृतक के सम्बन्ध में दी गई जानकारी उक्त वर्णन के अनुसार सही है और मैं/हम ही मृतक के उत्तराधिकारी हैं।

विवरण का सत्यापन किया जाता है

सरपंच/नम्बरदार/नगरपार्षद

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि मृतक

पुत्र/पति/पत्नी गांव/वार्ड नं.

डाकखाना तहसील जिला

का स्थाई निवासी था इसकी दिनांक (स्थान)

(मृत्यु का कारण) मृत्यु हो चुकी है। मृतक की आयु वर्ष थी और इसका नाम गरीबी रेखा की सूची में क्रम संख्या पर दर्ज है। जांच उपरान्त उक्त मृतक का परिवार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत सहायता/अनुदान पाने का पात्र बनता है अर्थात् मृतक के परिवार को /- रुपये की राशि प्रदान करवाने बारे सिफारिश की जाती है।

अन्वेषक,

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी

गांववार रजिस्टर तथा अन्य रिकार्ड चैक कर लिया गया है। इस केस में इससे पूर्व अदायगी नहीं हुई है।

अनुभाग अधिकारी,

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी

श्री/श्रीमती पुत्र/पति/पत्नी

स्थायी पता को

राशि रुपये की सहायता को स्वीकृत किया जाता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी